

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प राजपुरा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राजपुरा
व भू.अ.नि. कोर्टी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमशारा / नायब
तहसीलदार रेलमशारा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजपुरा तहसील रेलमशारा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2022 में खाता संख्या 131 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	राजपुरा	131	बदरीलाल पुज भुयान - लाल जाट का.दे. राहिन. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा - राजपुरा दरीबा	बदरीलाल पुज भुयानलाल जाट का. दे. राहिन - स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा राजपुरा दरीबा



 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____

क्रमांक:- **393**
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- **16/10/25**

1. तहसीलदार रेलमशारा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री _____ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____